शोध मंथन, 2017 *ISSN: (P): 0976-5255, (e) : 2454-339X, Impact Factor 3.8942 (ICRJIFR)*
***UGC Aproved Journal No. 40908***

# ग्रामीण मुस्लिम परिवारों का समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ0 ज़किया रफत
एसो0 प्रो0 एवं विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग आर0बी0डी0
महिला महाविद्यालय, बिजनौर

सारांश भारतीय ग्रामीण मुस्लिम समुदाय में परिवार का केन्द्रीय महत्व है। यह स्वस्थ तथा संतुलित सामाजिक जीवन की आधारशिला है। ग्रामीण मुस्लिम परिवार व्यावहारिक तौर पर संयुक्त परिवार के रूप में दिखाई देते हैं जो तीन या अधिक पीढ़ियों तक विस्तृत होते हैं। सामान्य विश्वास है कि मुस्लिम परिवार के लोकाचार शरीआ की उपज हैं अतः मुस्लिम परिवार और नातेदारी आदर्श अन्य धार्मिक समुदायों से भिन्न होने चाहियें। परन्तु भारतीय मुसलमान परिवार और नातेदारी संरचना के मामले में अपने गैर मुसलमान पड़ौसियों से प्रथक नहीं हैं। भारत में कुल मुस्लिम जनसंख्या 17.2 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या 14.23 प्रतिशत है। देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय होते हुए भी यह सामाजिक सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक तथा राजनैतिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। फिर भी मुस्लिम परिवारों पर शोध कार्य लगभग उपेक्षित रहा है। प्रस्तुत अध्ययन जनपद बिजनौर की तहसील नजीबाबाद

के ग्राम नंगला इस्लाम के 40 ग्रामीण मुस्लिम परिवारों पर केन्द्रित है

"शोध पत्र का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:
डॉ0 ज़किया रफत,

ग्रामीण मुस्लिम परिवारों का समाजशास्त्रीय अध्ययन,

शोध मंथन, दिस0 2017, पेज सं0 121.128,
Artcile No. 20 (SM 660)

http://anubooks.com/?page_id=581

भारतीय ग्रामीण मुस्लिम समुदाय में परिवार का केन्द्रीय महत्व है। यह स्वस्थ तथा संतुलित सामाजिक जीवन की आधारशिला है। [1] ग्रामीण मुस्लिम परिवार व्यावहारिक तौर पर संयुक्त परिवार के रूप में दिखाई देते हैं जो तीन या अधिक पीढ़ियों तक विस्तृत होते हैं। [2] इन परिवारों का स्वरूप चाहे संयुक्त हो अथवा विस्तृत लेकिन इसके अन्तर्गत कुछ ऐसी संरचनात्मक विशेषताओं का प्रमुख स्थान रहा है जो इसके सदस्यों को एकता के सूत्र में बांधे रखती हैं। [3] संयुक्त परिवार अवश्यकता पड़ने पर अपने सदस्यों को स्थिरता प्रदान करने तथा शारीरिक व मनोवैज्ञानिक समर्थन सहित अनेक लाभ प्रदान करता हैं। [4] विस्तृत परिवार की व्याख्या करते हुए दूबे ने लिखा है; कि 'जब अनेक केन्द्रीय परिवार एक साथ रहते हो उनमें निकट का नाता हो तथा वे एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हो तब ऐसे परिवार को संयुक्त अथवा विस्तृत परिवार कहा जाता है''। [5] मेण्डलबॉम के अनुसार, संयुक्त परिवार प्रणाली भारत में प्राचीन काल से ही पारिवारिक संगठन का एक सामान्य स्वरूप रहा है। [6] रिज़वी, अहमद तथा कॉन्कलिन ने स्पष्ट किया है कि हिन्दू धार्मिक साहित्य संयुक्त परिवारों को समर्थन प्रदान करता है परन्तु उन्ही के समान संयुक्त परिवार मुसलमानों में भी व्यापक रूप से पाये जाते है। [7] कपाडिया का तर्क है; कि भारत में संयुक्त परिवार केवल हिन्दूओं में ही नहीं पाये जाते ब्लकि यहां रहने वाले अन्य समूहो में भी पाये जाते हैं। [8] सामान्य विश्वास है कि मुस्लिम परिवार के लोकाचार शरीआ की उपज हैं। अतः मुस्लिम परिवार और नातेदारी आदर्श अन्य धार्मिक समुदायों से भिन्न होने चाहियें। [9] परन्तु भारतीय मुसलमान परिवार और नातेदारी संरचना के मामले में अपने गैर मुसलमान पड़ौसियों से प्रथक नहीं हैं। [10] भारत में कुल मुस्लिम जनसंख्या 17.2 करोड़ है। जो देश की कुल जनसंख्या 14.23 प्रतिशत है।[11] देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय होते हुए भी यह सामाजिक सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक तथा राजनैतिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है।[12] फिर भी मुस्लिम परिवारों पर शोध कार्य लगभग उपेक्षित रहा है। अतः प्रस्तुत अध्ययन इस कमी को दूर करने हेतु एक लघु प्रयास है।

**प्रमुख अध्ययनः—** वर्तमान में मुसिलम परिवारों पर उपलब्ध कुछ अध्ययन निम्नलिखित है। मैण्डलबॉम (1970) [13] ने निष्कर्षित किया है कि आमतौर पर कुछ पारिवारिक व्यवहारों में हिन्दू मुसलमानों से भिन्न हैं। जैसे समानान्तर चचेरे भाई विवाह तथा अन्य पारिवारिक सम्बन्धों में वे अपने सामाजिक स्तर के स्थानीय हिन्दूओं के समान होते है।

कॉमैक (1976) [14] ने निष्कर्षित किया है कि पारिवारिक व्यवहार में कुछ धार्मिक आचारों को छोड़कर मुसलमान भी हिन्दूओं जैसे है। दोनों के बीच पारिवारिक दृष्टिकोण में बहुत कम अन्तर दिखायी पड़ता हैं।

कॉन्कलिन (1976) [15] ने कर्नाटक के धारवार के मुस्लिम परिवारों का अध्ययन किया तथा पाया कि उनके प्रतिदिन के व्यवहार हिन्दूओं के समान हैं।

अग्रवाल (1976) [16] ने राजस्थान के मेवात में मिओ मुसलमानों के अध्ययन के आधार पर निष्कर्षित किया है कि मिओ में संयुक्त परिवार आदर्श माने जाते हैं। एक व्यक्ति के लिए अपने बेटों और उनके परिवारों का उसके घर में साथ रहना वांछनीय और प्रतिष्ठित माना जाता है।

माइन्स, मैटीसन (1976) [17] ने तमिलनाडू के मुसलमान व्यापारियों की पारिवारिक संरचना और नगरीकरण का अध्ययन किया और पाया कि तमिल मुसलमान व्यापारियों में बाजार उधम व्यवसाय के

आधार पर पारिवारिक व्यवसाय तथा परिवारिक संगठन हैं। अतः संयुक्त परिवार संरचना इस प्रकार के व्यावसायिक विस्तार के प्रबन्ध के अनुकुल है।

रिजवी (1976) [18] ने पुरानी दिल्ली के कारखानेदारों के अध्ययन के आधार पर निष्कर्षित किया है; कि कारखानेदार परिवार एक सामान्य घर में प्रथक–प्रथक रहते हैं। प्रत्येक इकाई का चूल्हा और बटुआ अलग–अलग है। उसके सदस्य उसी मकान में रहने वाले अलग–अलग व्यक्तियों के बीच एक जुटता की भावना को व्यक्त करते हैं।

अली (1976) [19] ने आसामी मुसलमानों के अध्ययन के आधार पर तीन भिन्न सामाजिक स्थिति के घरो के नातेदारी संरचना के विस्तृत आंकड़े प्रस्तुत किए है। जो यह दर्शाते है कि बड़े पैमाने पर व्यक्ति एकाकी परिवारों में रहते है। वे संयुक्त परिवार की व्यवस्था को आदर्श मानते है। यह एक अलग विषय है कि संयुक्त परिवार में रहने वाले लगभग समान राय के हैं। जबकि प्रत्येक ने यह माना कि एकाकी परिवार के पास एक घर होना चाहिए। एक ही परिवार के मुखिया के अधिकार को प्रस्तुत करने से होने वाले असन्तोष संयुक्त परिवार में रहने वालो में काफी सामान्य है।

रफत (2001) [20] ने अपने अध्ययन में मुस्लिम परिवारों में महिलाओं की स्थिति को रेखांकित किया है। अध्ययन के उदेश्यः–

**प्रस्तुत अध्ययन के निम्न उदेश्य है।**

1 ग्रामीण मुस्लिम परिवारों की संरचना का अध्ययन करना।

2 ग्रामीण मुस्लिम परिवारों में श्रम विभाजन, महिलाओं की स्थिति तथा पर्दे की स्थिति का अध्ययन करना। अध्ययन क्षेत्र :– प्रस्तुत अध्ययन ग्राम नगला इस्लाम में सम्पन्न किया गया है जो पष्चिम उत्तर प्रदेश में स्थित जनपद बिजनौर की तहसील नजीबाबाद के अन्तर्गत आता है। यहां 103 परिवार रहते हैं। ग्राम की कुल जनसंख्या 574 है जिसमें 285 पुरूष तथा 289 महिलाएं है। यहां मुसलमानों तथा हरिजनों के परिवार रहते हैं।

**अध्ययन विधि** :– प्रस्तुत अध्ययन वर्णानात्मक शोध प्ररचना के अन्तर्गत किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन हेतु ग्राम नंगला इस्लाम के 40 मुस्लिम परिवारों के दैव निदर्शन पद्धति के द्वारा चयनित किया गया है। चयनित परिवारों के मुखिया को अध्ययन की इकाई मानकर आंकड़ो/तथ्यो का संकलन साक्षात्कार अनुसूची के प्रयोग द्वारा किया गया।

**उपलब्धियां** – प्रस्तुत अध्ययन की निम्न उपलब्धियां रही है।

## ग्रामीण मुस्लिम परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति

तालिका 1

| आवासीय स्थिति | जाति | शिक्षा | व्यवसाय | आर्थिक स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| सुविधा युक्त पक्के मकान 12 (30 :) | शेख 34 (85 :) | अशिक्षित 8 (20 :) | नौकरी एंव खेती 10 (25 :) | उच्च 7 (17..5 :) |
| अर्ध पक्के मकान 20 (50 :) | फकीर 6 (15 :) | कुरान व उर्दू शिक्षित 9 (22.5 :) | व्यापार एंव खेती 4 (10 :) | मध्यम 24 (60 :) |
| कच्चे 8 (20 :) | | 8 वी पास 6 (15 :) | मज़दूरी एंव खेती 10 (25 :) | निम्न 9 (22..5 :) |
| | | 10 वी पास 2 (5 :) | दर्जी 4 (10 :) | |
| | | 12 वी पास 3 (7.5 :) | पुताई करना 2 (5 :) | |
| | | बी.ए./बी.एस.सी 6 (15 :) | राजगीरी 2 (5 :) | |
| | | बी.ए/एल.एल.बी. 2 (5 :) | मज़दूरी 8 (20 :) | |
| | | एम.ए/एम.एस.सी. 3 (7.5 :) | | |
| | | एम.सी.ए. 1 (2.5 :) | | |
| योग 40 (100 :) | योग 40 (100 :) | योग 40 (100 :) | योग 40 (100 :) | योग 40 (100 :) |

**मुस्लिम ग्रामीण पारिवारिक संरचना** :

प्रस्तुत अध्ययन में सभी चयनित परिवार पितृ स्थानीय तथा पितृवंशीय पाये गये।

**परिवार का स्वरूप** :– अध्ययन क्षेत्र में परिवार के निम्न स्वरूप पाये गये।

तालिका 2

| क्रस | परिवार के स्वरूप | इकाई सं0 | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | एकाकी | 14 | 35 |
| 2. | संयुक्त | 26 | 65 |
| | योग | 40 | 100 |

उपर्युक्त तालिका–2 से स्पष्ट होता है कि 35 प्रतिशत इकाईयां एकाकी परिवार में तथा 65 प्रतिशत इकाईया संयुक्त परिवार में रहती हैं।

अध्ययन के दौरान यह भी पता चला कि संयुक्त परिवारों के अन्तर्गत 10 प्रतिशत इकाईयों के परिवार में एक घर एक चूल्हा है, 35 प्रतिशत इकाईयों के परिवार में एक घर दो चूल्हा हैं, 10 प्रतिशत इकाईयों के परिवार में एक घर तीन चूल्हा तथा 10 प्रतिशत इकाईयों के परिवार म एक घर चार चूल्हा हैं। परिवार का आकार :–

**परिवार का आकार**

प्रस्तुत अध्ययन हेतु चयनित इकाईयों के परिवार में सदस्यों की संख्या का विवरण निम्नवत है।

तानिका–3

| क्रसं | सदस्य संख्या | इकाई संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | 1 से 5 तक | 12 | 30 प्रतिशत |
| 2. | 1 से 7 तक | 18 | 45 प्रतिशत |
| 3. | 1 से 10 तक | 8 | 20 प्रतिशत |
| 4. | 1 से 20 तक | 1 | 2.5 प्रतिशत |
| 5. | 1 से 35 तक | 1 | 2.5 प्रतिशत |
| | योग | 40 | 100प्रतिशत |

उपर्युक्त तालिका– . 3 के अवलोकन से पता चलता है कि 30 प्रतिशत इकाईयों के परिवार में सदस्यों की संख्या 1 से 5 तक, 45 प्रतिशत इकाईयों के परिवार में सदस्य संख्या 1 से 7 तक है,। 20 प्रतिषत इकाईयों के परिवार में 1 से 10 तक सदस्य है तथा 25 प्रतिशत इकाईयों के परिवारों में सदस्यों की संख्या 1 से 20 तक है, 25 प्रतिशत इकाईयों के परिवार में सदस्य संख्या 1 से 35 तक है।

उपर्युक्त आंकड़ो के विश्लेशण से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण मुस्लिम परिवारों का आकार बड़ा होता है।

**पारिवारिक सम्बन्ध** :– प्रस्तुत अध्ययन हेतु चयनित इकाईयों में पाये गये पारिवारिक सम्बन्धों का निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका–4

| क्रसं | पारस्परिक सम्बन्ध | इकाई सं0 | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | मधुर | 8 | 20 प्रतिशत |
| 2. | सामान्य | 26 | 65 प्रतिशत |
| 3. | क्लह पूर्ण | 6 | 15 प्रतिशत |
| | योग | 40 | 100 प्रतिशत |

उपरोक्त तालिका .4 से स्पष्ट होता है कि 20 प्रतिशत परिवारों के सदस्यों के आपसी सम्बन्ध मधुर और 70 प्रतिशत परिवारों के सामान्य है जबकि 10 प्रतिशत परिवारों में आपसी सम्बन्ध कलह पूर्ण है। कलह का कारण जमीन जायदाद का बंटवारा तथा पारिवारिक तनाव हैं।

**परिवार में श्रमविभाजन**:– चयनित अध्ययन इकाईयों के परिवारों में श्रम विभाजन मुख्य रूप से लिंग और आयु के आधार पर होता है।

पुरूष का कार्यक्षेत्र घर के बाहर है। उनका मुख्य कार्य जीविकोपार्जन तथा अपना व अपने परिवार का भरण–पोषण करना है। इसके अतिरिक्त अनाज, सब्जी, गोश्त, फल आदि लाकर देना तथा परिवार के सदस्यों की आवश्यकतानुसार बाजार से खरीदारी करवाने का दायित्व उन पर है।

महिलांए घर के भीतर रहती है। वे घर संभालना, बच्चो को पैदा करना, उनका पालन पोषण करना, खाना बनाना, कपड़े व बर्तन धोना आदि कार्य करती है। खेतो से आये हुए अनाज को कोठियों में उठाकर रखवाना तथा मेहमानो का सत्कार करना आदि कार्य महिलाओं के हैं।

वृद्धो का कार्य घर के सभी सदस्यों का ध्यान रखना तथा उनमे मेल–मिलाप बनाये रखना। वृद्धाओं का कार्य आने वाले मेहमानों के पास बैठना, पास–पड़ौस, मुहल्ले व रिश्तेदारों के सुख:दुख में आना–जाना, छोटे–छोटे पौत्र–पौत्रियों/नाती–नातियों को गोद खिलाना है।

4 से 14 साल तक के बच्चे पढ़ने जाते है। व घरेलू आवश्यक सामान आस–पास की दुकान से ला देते है। 14 वर्ष से अधिक आयु के लड़के(जो पढ़ रहे हैं) वे घर के बाहर के भी छोटे–छोटे काम कर

देते है। जो नहीं पढ़ रहे है। उनमे से कुछ दर्जी, बढ़ाई, मिस्त्री, वैल्डर आदि काम सीख रहे है। लड़कियां पढ़ने के साथ–साथ माँ के साथ घरेलू कार्यो में हाथ बंटाती है। छोटे भाई–बहन के काम भी करती है। जो नहीं पढ़ रही है। वे घर के अधिकतर गृह कार्यो के दायित्व का निर्वहन करती है तथा सिलाई–कढ़ाई आदि सीखती है।

ग्रामीण मुस्लिम **परिवार** में महिलाओं की स्थिति

चयनित अध्ययन इकाईयों के परिवार में महिलाओं की स्थिति निम्नवत पायी गयी।

तलिका–5

| क्रसं | स्थिति | इकाई संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | उच्च | 6 | 15 |
| 2. | मध्यम | 14 | 35 |
| 3. | निम्न | 20 | 50 |
| | योग | 40 | 100 प्रतिशत |

उपर्युक्त तालिका–5 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 15 प्रतिषत इकाईं ऐसी हैं जिनके परिवार में उनकी स्थिति उच्च है। 35 प्रतिशत इकाईयों के परिवार में उनकी स्थिति मध्यम है। 50 प्रतिशत इकाईयों के परिवार में उनकी स्थिति निम्न है। उपर्युक्त आंकडो के विश्लेशण से पता चलता है कि सर्वाधिक 50 प्रतिशत इकाईयों की स्थिति निम्न है।

मुस्लिम परिवार में महिलाओं मे पर्दे की स्थित

अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत इकाईयों में पर्दे की जो स्थिति है उसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका–6

| क्रस | पर्दा | इकाई सं0 | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | कम | 14 | 35 प्रतिशत |
| 2. | अधिक | 26 | 65 प्रतिशत |
| | योग | 40 | 100 प्रतिशत |

उपरोक्त तालिका– 6 दर्शाती है कि 35 प्रतिशत इकाईयां कम पर्दा करती है तथा 65 प्रतिशत अधिक पर्दा करती है।

अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि यहां सभी इकाईयां पर्दा करती हैं। आमतौर पर स्त्रियां घर के अन्दर ससुर, जेठ, नन्द के पति से पर्दा करती है। बाहर आने–जाने में भी बुरका पहनती है। गांव में भी एक–दूसरे के घर आने–जाने मे बुरका पहनती है। 'पर्दा स्त्री का गहना अथवा ज़ेवर है' 'पर्दा आवष्यक है' मजहबी एतबार से पर्दा करना चाहिए' 'बुरका' इज्जत की चीज है' 'अनपे बडो से पर्दा करना चाहिए' 'पर्दा न करने से गुनाह भी होता है आदि। इस प्रकार के तर्क स्त्रियों ने दिये। जिससे स्पष्ट हो गया कि उन के जीवन में पर्दे का महत्व है। साथ ही कुछ स्त्रियों ने पर्दे के सम्बन्ध में यह भी कहा कि पर्दा आवश्यक है किन्तु 'कम' होना चाहिए। इसके अतिरिथ्त नवपीढी की लड़कियां बुर्का नही पहनना चाहती।

ग्रामीण मुस्लिम परिवार में परिवार नियोजन सम्बन्धी विचार

अध्ययन क्षेत्र में परिवार नियोजन के सम्बन्ध में इकाईयों ने जो विचार दिये है उन्हें निम्न तालिका में दर्शाया गया है–

तालिका–7

| क्रसं | परिवार नियोजन | इकाई संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | पक्ष | 12 | 30 प्रतिशत |
| 2. | विपक्ष | 28 | 70 प्रतिशत |
| | योग | 40 | 100 प्रतिशत |

उपरोक्त तालिका 7 दर्शाती है कि 30 प्रतिशत इकाईयां ऐसी है, जो परिवार नियोजन के पक्ष में है। जबकि 70 प्रतिशत इकाईयां ऐसी है जो इसके विपक्ष में है।

निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं। कि ग्रामीण मुस्लिम परिवारों में संयुक्त परिवारों की प्रधानता है। गांव मे दो या दो से अधिक चूल्हा परिवार है, मुस्लिम परिवारों का आकार बड़ा है। परिवार में सदस्य के सम्बन्ध सामान्य है तथा कुछ परिवार में जमीन जायदाद के बंटवारे को लेकर कलह भी है। परिवारों में श्रमविभाजन लिंग व आयु के आधार पर होता है ग्रामीण मुस्लिम महिलाओं की स्थिति निम्न है तथा नव
युवतियों को छोड़कर सभी महिलाए पर्दा करती है। मुस्लिम परिवार परिवार नियोजन के पक्ष में नहीं हैं।

सन्दर्भ

1 दोई, ए0 आर0 (1984) '' शरीफ द इस्लामिक लॉ, लन्दनः ता हा.
2 अनवर, एम0 (1994) ''यंग मुस्लिम इन ब्रिटेन : एटीट्यूड्स एजुकेशनल नीड्स एंड पालिसी इम्प्लीकेशंस'' लीसेस्टर : इस्लामिक फाउन्डेशन.
3. लावानिया, एम. एम. एवं शशि जैन (2011) ''ग्रामीण समाज'' जयपुर : रिसर्च पब्लिकेशन, 106
4 धामी, संगीता एंव अजीज शेख (2000), ''द मुस्लिम फैमिली'' वेस्ट जे. मैड, नवम्बर, 173(5), 352–356.
5 दूबे, एस. सी (1955) '' इंडियन विलेज '' .20,
6 मेण्डलबॉम, डेविड, जी. (1970) ''सोसायटी इन इंडिया'' बार्कले यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस, 547
7- अहमद, आई (1976) ''फैमिली किनषिप मैरिज अमंग मुस्लिम्स इन इंडिया'' नई दिल्ली मनोहर पब्लिकेशंस, सम्पादकीय, xxii.
8- कपाडिया, के0 एम0 (1966),''मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया'' तृतीय संस्करण, बम्बई : ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिली प्रेस.
9- अहमद (1976) पूर्वोक्त
10- अहमद (1976) पूर्वोक्त
11- जनगणना 2011
12- सच्चर (2006) ''सोशल इकोनॉमिक स्टेट्स ऑफ एंड एजुकेशन मुस्लिम कम्युनिटि इन इंडिया'' राजेन्द्र सच्चर कमेटी रिर्पोट, प्राइमिनिस्ट्र्स हाई लेवल कमेटी, केबिनेट सेक्रेट्रिएट, नवम्बर 2006 नई दिल्ली.
13- मैण्डलबाम (1970) पूर्वोक्त
14- कॉमैक, मार्गेट, एल0 (1961) '' शी हू राइड्स ए पीकॉक, इंडियन स्टूडेण्ट्स एंड सोषल चेंज'', बम्बई एशिया पब्लिषिंग हाऊस, 43.
15- कॉन्कलिन, जॉर्ज, एच0 (1976) ''मुस्लिम फैमिली लाइफ एंड सैक्यूलैराइजेषन इन धारवार कर्नाटक, इन इम्तियाज अहमद, 127–140.

16- अग्रवाल, प्रताप, सी0 (1976) " किनशिप एंड मैरिज अमंग द मिओस ऑफ राजस्थान "इन इम्तियाज अहमद सम्पादित फैमिली एंड किनशिप अमंग मुस्लिम्स इन इंडिया, नई दिल्ली मनोहर पब्लिकेशंस, 256–296.

17- माइन्स, मैटिसन (1976) '' अरबैनाइजेशन, फैमिली स्ट्रक्चर एंड द मुस्लिम मर्चेण्ट्स ऑफ तमिलनाडू "इन इम्तियाज अहमद 1976, 297–318.

18- रिज़वी, एस0एम0 (1976) '' किनशिप एंड इडंस्ट्री अमंग द मुस्लिम कारखानेदार्स इन दिल्ली''
इन इम्तियाज अहमद, 1976, 27–48

19- अली, ए0एन0एम0 इरशाद (1976), ''किनशिप एंड मैरिज अमंग द आसामी मुस्लिम्स ''इन इम्तियाज अहमद, 1976, 1–25.

20- रफत, ज़किया (2001), ''मुस्लिम परिवारों में महिलाओं की स्थिति'' राधा कमल मुखर्जी : चिन्तन परम्परा, वर्ष–4, अंकः– 1, 55–57.